प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.11.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 22.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से आभूषण चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना का अनावरण/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना में प्रकाश में आया अभियुक्त दीपक पुत्र देवेन्द्र निवासी बुद्ध बाजार भूरा प्लांट धामा एन्क्लेव राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी के 03 जोड़ी लच्छे बच्चे के (सफेद धातु), 13 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 05 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 नग हथफूल (सफेद धातु), 01 सेट गले की कालर कान के 02 झुमको सहित (पीली पोलिश लगा), 01 गले का हार (पीली पोलिश लगा) व घटना में प्रयुक्त 03 सरिया के टुकड़े बरामद। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने नाला रोड पर लक्ष्मी गार्डन में गली में एक मकान जिसमें ताला लगा था उसका ताला तोड़कर मकान से चोरी की थी, यह सभी वही आभूषण है जिन्हें मैं बेचने की फिराक में था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र देवेन्द्र निवासी बुद्ध बाजार भूरा प्लांट धामा एन्क्लेव राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 जोड़ी लच्छे बच्चे के (सफेद धातु), 13 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 05 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 नग हथफूल (सफेद धातु), 01 सेट गले की कालर कान के 02 झुमको सहित (पीली पोलिश लगा), 01 गले का हार (पीली पोलिश लगा) व घटना में प्रयुक्त 03 सरिया के टुकड़े बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर अनैतिक सम्बन्ध बनाने व गर्भपात कराने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांकः-22.11.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा पंजीकृत मुकदमा शादी का झांसा देकर अनैतिक सम्बन्ध बनाने व गर्भपात कराने के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र ब्रहमप्रकाश शर्मा मूल नि0 हरिराम टेम्पल नियर वार्ड न0 3 उदय रामसर बीकानेर राजस्थान हाल नि0 गली न0 15 तुगलकाबाद कालका जी थाना गोविंदपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही का जी रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि पीडिता से मेरी बातचीत जीवनसाथी एप्प पर शुरू हुई थी। हमारी काफी जान पहचान हो गयी थी। दिनांक 25.09.2025 को मै मेरठ गया था वहाँ पर परिवार की सहमती से शादी की बात हो गयी थी। मै और पीडिता साथ रहने लगे, आपसी सहमति से सम्बंध बने जिसके बाद पीडिता प्रेग्नेन्ट हो गयी तब मै मानसिक रूप से परेशान था जिस कारण मैने उसका गर्भपात भी करा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नरेन्द्र शर्मा पुत्र ब्रहमप्रकाश शर्मा मूल नि0 हरिराम टेम्पल नियर वार्ड न0 3 उदय रामसर बीकानेर राजस्थान हाल नि0 गली न0 15 तुगलकाबाद कालका जी थाना गोविंदपुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग अनैतिक संबंध बनाने सम्बन्धी पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना नन्दग्राम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 13.11.2026 को थाना लिंक रोड पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 22.11.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. आकाश पुत्र राजकुमार निवासी- ग्राम गभाना थाना गभाना जनपद अलीगढ़ हाल पता- श्याम पार्क थाना साहिबाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. पुनीत पुत्र विनोद निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता मौहल्ला दुर्गापुरी थाना शहादरा दिल्ली उम्र करीब

23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने मौका पाकर रंगोली तिराहा के पास चन्दर नगर से चोरी की थी जिसको हम बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. आकाश पुत्र राजकुमार निवासी- ग्राम गभाना थाना गभाना जनपद अलीगढ़ हाल पता- श्याम पार्क थाना साहिबाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष
2. पुनीत पुत्र विनोद निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता मौहल्ला दुर्गापुरी थाना शहादरा दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लिंक रोड पर उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।